PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी

Email:- eepmgsykalsi@rediffmail.com
Tel:- 01360-275015

1/1

पत्र सं0: 371 / अनु0 दिनांक: 13/05/2020

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

विषय:— चांदनी—प्यूनल मार्ग निर्माण में अनियमितता।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक संख्या 3416 / 12—1 चकराता दिनांक 04.05.2020।

महोदय,

चांदनी—प्यूनल मोटर मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी के द्वारा अनुबन्ध संख्या 159 / यू0टी0—05—04(I) / XVIUT-05-19(II)XVIII&UT-05-04(B)XVII/CE-URRDA/2019-20 Date 09/12/2019 मै0 आर0जी0 विल्डबेल प्राईवेट लिमिटेड़ के नाम गठित अनुबन्ध पर सम्पादित कराया जा रहा है। आपके द्वारा निरीक्षण करने पर जो क्षति ठेकेदार द्वारा की गयी थी उस पर आपके द्वारा अर्थ—दण्ड इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। उसका भुगतान फर्म के द्वारा दिनांक 13.05.2020 को पुस्तक संख्या 345 कमांक 97 न0 रसीद से कर दिया गया हैं। ठेकेदार को कठोर चेतावनी भी जारी कर दी गयी हैं, भविष्य में मार्ग निर्माण करते समय और अधिक सावधानियों का संज्ञान लेकर कार्य कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में जमा किया गया जुर्माने का सत्यापन करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता 13/5/20
निर्माणखण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी
दिनांक: / /2020

चकराता वन प्रभाग
पंजी0 संख्या ...
पत्रावली संख्या ...
पत्रांक संख्या ...

पत्र सं0: /
प्रतिलिपि:—

1 मै0 आर0 जी0 विल्डबेल प्रा0 लिमिटेड बी0—30, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया भविष्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी वनभूमि में उल्लेखित शर्तो का कठिनाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

2 सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,कालसी को इस आशय से प्रेषित है कि फर्म द्वारा अर्थ—दण्ड जमा कर दिया गया है इसका उल्लेख कार्यस्थल पुस्तिका पर अवश्य कर लें।

3 प्रधान सहायक श्री अतर सिंह चौहान को इस आशय से प्रेषित है कि इस अर्थ—दण्ड रसीद एवं इस पत्र को अनुबन्ध फाईल में संलग्न करना सुनिश्चित करें।(संलग्न— अर्थ—दण्ड रसीद)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माणखण्ड, लो0नि0वि0,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी

D/MAN
आ0 का0 कर,
प्रस्तुत
15-5-2020

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक 3416 / 12-1 चकराता दिनांक 11 मई, 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
खण्ड, कालसी,
देहरादून।

विषय– चांदनी–प्यूनल मार्ग निर्माण में अनियमितता।

महोदय,

चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग का निर्माण आपके विभाग द्वारा कराया जा रहा है। यह मोटर मार्ग (लम्बाई 23.325 किमी0) भारत सरकार के पत्र सं0 08 बी/यू.सी.पी./06/172/2016/2457 दि0 4.02.2020 से विधिवत् स्वीकृत है। शिकायत प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि0 01.05.2020 को देवघार रेंज के विभागीय कार्यों के निरीक्षण पर उक्त मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अंतर्गत आच्छादित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

(1). आरक्षित भूमि – 1.1375 है0
(2). सिविल सोयम भूमि – 3.8025 है0
(3). नाप भूमि – 9.0000 है0
योग – 13.9400 है0

निरीक्षण में पाया गया कि यह मार्ग चांदनी से ब्यूलोग तक सिविल क्षेत्रों में पूर्व में ही कच्चा निर्मित है। ब्यूलोग से वर्तमान में निर्माण किया जा रहा है। इस भाग में लगभग 1 किमी0 का निर्माण किया गया है। प्रारम्भ में लगभग 400 मी0 आरक्षित भूमि में है, शेष सिविल भूमि में है। मलुवा निस्तारण हेतु स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। मलुवा निस्तारण मार्ग से नीचे लुढ़काकर किया जा रहा है। जिससे वनस्पतियों एवं वृक्षों को क्षति हुई है। निर्माण कार्य को तत्काल रोका गया। वन क्षेत्राधिकारी को मलुआ निस्तारण नियमानुसार करने एवं क्षति का आंकलन करने एवं वन अपराध दर्ज करने के निर्देश दिये गये। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 02.05.2020 को स्थानीय ग्रामवासी द्वारा भी WhatsApp के माध्यम से निर्माण कार्यों की अनियमितता के Video clips विभाग के उच्चतम स्तर को प्रेषित् किये गये। आपके संज्ञानार्थ उक्त Video clips आपको भी WhatsApp के माध्यम से प्रेषित् किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के उपरोक्त अनुज्ञा पत्र के अनुरूप निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों की गई, क्षति की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें। अग्रिम निर्देशों तक कार्य स्थगित करें। अन्यथा की दशा में भारत सरकार को कार्यवाही हेतु प्रकरण संदर्भित किया जायेगा।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक 3416 / 12-1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक 3403 / 13-1   कालसी,   दिनांक, 04 मई 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः देवघार रेंज के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य एवं अवैध पातन की जांच।
संदर्भः आपका निर्देश दि0 2.5.2020

महोदय,

निवेदन है कि आपके दि0 2.5.2020 को दूरभाष पर दिये गये निर्देश एवं WhatsApp के माध्यम से प्रेषित छाया चित्रों के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. मैंने दि0 1.5.2020 को देवघार रेंज का निरीक्षण किया गया। उक्त तिथी को पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्माणाधीन चांदनी–प्यूनल मोटर मार्ग(लम्बाई 23.325 किमी0) का भी निरीक्षण किया गया। यह मोटर मार्ग भारत सरकार के पत्र सं0 08 बी/यू.सी.पी./06/172/2016/2457 दि0 4.02.2020 से विधिवत् स्वीकृत है। निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अंतर्गत आच्छादित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

(1). आरक्षित भूमि – 1.1375 है0
(2). सिविल सोयम भूमि – 3.8025 है0
(3). नाप भूमि – 9.0000 है0
योग – 13.9400 है0

निरीक्षण में पाया गया कि यह मार्ग चांदनी से ब्यूलोग तक सिविल क्षेत्रों में पूर्व में ही कच्चा निर्मित है। ब्यूलोग से वर्तमान में निर्माण किया जा रहा है। इस भाग में लगभग 1 किमी0 का निर्माण किया गया है। प्रारम्भ में लगभग 400 मी0 आरक्षित भूमि में है, शेष सिविल भूमि में है। मलुवा निस्तारण हेतु स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। मलुवा निस्तारण मार्ग से नीचे लुढ़काकर किया जा रहा है। जिससे वनस्पतियों एवं वृक्षों को क्षति हुई है। निर्माण कार्य को तत्काल रोका गया। वन क्षेत्राधिकारी को मलुआ निस्तारण नियमानुसार करने एवं क्षति का आंकलन करने एवं वन अपराध दर्ज करने के निर्देश दिये गये। वन क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

2. WhatsApp संदेश के Video clips में दर्शाये गये पातन के सम्बन्ध वन क्षेत्राधिकारी देवघार द्वारा सूचित किया गया कि दो वृक्ष माफी में आवंटित किये गये हैं। एक वृक्ष देवदार, व्यास 30–40 सेमी0, का अवैध पातन है। जिसका वन अपराध रेंज केस सं0 2/ 2020–21 दि0 27.04.2020 दर्ज है। Video clips में दिखाई दे रहा जमीन पर पड़ा प्रकाष्ठ माफी का है। जिसे माफीदारों द्वारा उठाया जाना शेष है।

Video clip में कर्मचारियों एवं ग्रामीणों का वार्तालाप माफी छपान (Free grants) से सम्बन्धित है।

फार्म नं एच–२

पुस्तक सं 62 पेज नं० 31

वन विभाग उत्तराखण्ड वृत्त परिधि (वृत्त) यमुना खण्ड (डिवीजन) चकराता वन प्रभाग, चकराता

वन्य अपराध वृक्षों को क्षति एवं प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 02 दिनांक 01-05-2020 अधिक्षेत्र (रेंज)

मलवा लुढ़कान करना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाना।

१—नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ① - विनोद शर्मा S/o श्री बर्फिया नन्द शर्मा (ग्राम - अटाल) कनिष्ठ अभियन्ता (J.E) - (PMGSY) खण्ड - कालसी, देहरादून

② - दयाराम चौहान S/o श्री स्व. प्रताप चन्द (ठेकेदार) ग्राम - हवैरा तहसील - कालसी (देहरादून)

③ - विरेन्द्र चौहान पुत्र - नामालूम मुंशी

२—साक्षी का नाम - स्वयं व श्री रतन सिंह - वीर सहायक, देरसा बीट

३—कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक - 01-05-2020 प्यूनल - देरसा मोटर मार्ग (नव-निर्माण) में वृक्षों को क्षति, मलवा लुढ़कान अवैध कार्य करना।

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम - 2001 की धारा - 26 (छ) (ज) के अन्तर्गत अपराध करना। एवं वन पर्यावरण को क्षति पहुंचाना।

४—

महोदय, दिनांक 1-5-2020 को देरसा प्यूनल मोटर मार्ग की गश्त के दौरान देखा गया कि P.M.G.S.Y (पी०एम० जी० एस० वाई) विभाग द्वारा ठेकेदार से रोड कटिंग कार्य (आरक्षित वन) एवं सिविल वन में करवाया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग में आरक्षित वन की सीमा लगभग 400-500 मीटर (लगभग) सुराच क० सं० - 08 में कटिंग के दौरान निर्माण किये जा रहे मोटर मार्ग का मलवा आरक्षित वन में रोड के नीचे जाने से चीड़ (जड़पर) वृक्षों की क्षति पहुँची है। मौका स्थल पर चीड़ (जड़पर) वृक्षों की हुई क्षति एवं पत्थर लुढ़कान से क्षति की नपत स्थलवार कर विधिक कार्यवाही हेतु भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम - 2001 की धारा 26 (छ) (ज) के तहत अपराध पत्र जारी किया गया है।

५—चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

अतः प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में विधिक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

मलवे से चीड़ जड़पर वृक्ष	मलवा लुढ़कान क्षति
① - चीड़ जड़पर वृक्ष - 20-30 = 2	① - 15 मी० X 25 मी० - 3 प्लाट (लगभग)
- 30-40 = 1	② - 18 मी० X 20 मी० - 4 प्लाट (लगभग)
- 40-50 = 2	③ - 30 मी० X 18 मी० - 3 प्लाट (लगभग)
② देवदार क्षतिग्रस्त - 20-30 = 3	④ - 25 मी० X 20 मी० - 6 प्लाट (लगभग)

६—प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

भवदीय

(विरेन्द्र सिंह)
वन बीट अधिकारी
देरसा बीट

कार्यालय: वन क्षेत्राधिकारी देवघार रेंज चकराता

पत्रांक: 334/27 दिनांक: 2 मई 2020

प्रथम प्रतिलिपि :- श्रीमान उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग, चकराता को द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी त्यूनी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
देवघार रेंज त्यूनी

द्वितीय प्रतिलिपि :- श्री चतर सिंह चौहान उप राजिक मुरान अनुभाग को उक्त वाद की गहन जाँच कर समयान्तर्गत जुर्माना धनराशि वसूल करना सुनिश्चित करें।

वन क्षेत्राधिकारी
देवघार रेंज त्यूनी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
त्यूनी

प्राप्ति संख्या ... 68
पत्रावली संख्या ... 2
दिनांक 11.5.2020

देवघार 20-21

संख्याः X-3-20/1(285)/2016

प्रेषक

सुभाष चन्द्र
भाग सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 18 ~~फरवरी~~ मार्च, 2020

वन अनुभाग–3

विषयः– जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2078/FP/UK/ROAD/16879/2015, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/172/2016/2457, दिनांक 04.02.2020 के द्वारा दी गयी विधिवत् स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.880 हे0 ग्राम डेरसा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत छः माह के अंदर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसको कथित प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थनों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में प्रस्वावित सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर Strip Plantation किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
11. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2016 / 2457 दिनांकः 04 / 02 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1531 / FP/UK/Road/16879/2015, देहरादून दिनांक 21.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के पत्रांक 907 / x-4-16/1(285)/2016 दिनांक 06.09.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 12.10.2017 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालन अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद – देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्यूनी–चांदनी से प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदल प्रस्तावित 9.880 हे0 ग्राम डेरसा सविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत छः माह के अंदर आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

संलग्नक: 5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 हरिद्वार
(मुख्यालय–कालसी)

पत्रांक–1040 / 22 / ... दिनांक 22 / 10 / 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत त्यूनी–चांदनी से पिवनल मोटर मार्ग पर एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 11.09.2020 के क्रम में आपके द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के पत्र सं0 17024 / 24 / 2017–आर.सी. (PMS-355978) दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के द्वारा लम्बाई 23.150 कि.मी. की प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में वनभूमि स्थानांतरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु वन विभाग को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2016 / एफ0सी0 / 122–4 दिनांक 12.10.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति 4.94 हे0 की प्राप्त हुई थी, सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे0का0 (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 172 / 2016 / 2457 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा प्राप्त हुई थी उपरोक्त स्वीकृति हेतु वन विभाग को जो प्रस्ताव गठित किया गया था वह कि.मी. 8 ब्यूलोग से पिवनल (चौरीलानी) तक प्रेषित किया गया था चूंकि मार्ग के कि.मी. 1 से कि.मी. 7.476 तक पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग लो0नि0वि0 चकराता द्वारा निर्मित किया गया था जिसकी विधिवत स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षे0का0 मध्य क्षेत्र के पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 248 / 2010 / एफ0सी0 / 1435 दिनांक 04 मार्च 2013 के द्वारा 2.79 हे0 की प्राप्त हुई थी। महोदय वर्तमान में उपरोक्त मोटर मार्ग पर मैसर्स [illegible] इंजीनियर्स प्रा0लि0 का अनुबंध मार्ग के स्टेज–I, स्टेज–II (डामरीकरण) एवं 24 मी0 स्पान लोह सेतु का रू. **2723.21 लाख** निर्माण एवं 121.54 लाख अनुरक्षण अर्थात् कुल **2844.75 लाख** का अनुबंध गठित है जिसमें डंपिंग का कार्य पहाड़ कटान की मद में ही शामिल है तथा डंपिंग जोन के निर्माण कार्य हेतु वायरक्रेट का प्राविधान आगणन में सम्मिलित है। महोदय इस कार्य में तीन स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त है जो निम्नवत् है–

क्र. सं.	[illegible]	शासनादेश	निर्माण लागत रु. लाख में	अनुरक्षण लागत रु. लाख में	कुल लागत रु. लाख में
1.	I	329/P1-34(Phase-XVI)/U.R.R.D.A./18 Dt. 14 May, 2018	1461.79	77.52	1539.32
[illegible]	[illegible]	[illegible] Dt. 06.03.2019	1182.83	111.67	1294.50
3.	[illegible]	188/XI/19/56(03)2018 Dated 11.01.2019	148.96	15.68	164.64
		Total	2793.58	204.87	2998.45

[illegible] कि वनभूमि स्थानांतरण के समय मार्ग के कि.मी. 3, कि.मी. 4, कि.मी. 8, कि.मी. 10, कि.मी. 12, कि.मी. 14, कि.मी. 15, कि.मी. 18, कि.मी. 21 एवं कि.मी. 23 में डंपिंग जोन का प्राविधान रखा गया था, जिसके

क्रमशः पृ0 2

[illegible]

Scanned with CamScanner

क्रम में अवगत कराना है कि :–

1. मार्ग के कि.मी. 3 व 4 में डंपिंग जोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चूंकि पूर्व में जब वनभूमि स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को गठित किया गया था तो तत्समय मार्ग निर्माण हेतु स्टेज–I के ही कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त थी, चूंकि कि.मी. 1 से 8 तक पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग था जिसको मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का प्राविधान था और मार्ग मात्र 2 से 2.50 मी0 चौड़ाई में कटिंग कार्य किया जाना था जिससे इस भाग में कम मात्रा में ही मलवा डंपिंग जोन में निस्तारित किया जाना था, चूंकि वर्तमान में मार्ग पर पक्कीकरण का कार्य भी इसी अनुबंध के तहत किया जाना है, मार्ग निर्माण से जो मलवा निकलेगा उसका पूर्ण प्रयोग मार्ग पक्कीकरण के कार्य में होगा। जिस कारण पूर्व निर्धारित कि.मी. 3 एवं 4 में डंपिंग जोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मार्ग के कि.मी. 7 व 8 में पक्कीकरण के बाद जो मलवा अवशेष बचेगा उसके निस्तारण हेतु पूर्व में जो डंपिंग जोन निर्धारित किये गये थे उन्हीं स्थानों पर आवश्यकतानुसार डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है। मार्ग के कि.मी. 10, 12 एवं 15 में भी आवश्यकतानुसार पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि मार्ग के कि.मी. 14 में पूर्व में डंपिंग जोन का प्राविधान सिविल / सोयम भूमि में रखा गया था किन्तु वर्तमान में उक्त डंपिंग जोन का निर्माण प्राईवेट भूमि पर 100 मी0 पहले किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि कि.मी. 15 से आगे कि.मी. 18, 21 एवं 23 में मार्ग निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही डंपिंग जोन का निर्माण किया जायेगा।

2. महोदय अवगत कराना है कि उक्त कार्य कि सुलभता अनुसार मार्ग के तीन भाग है जिसका विवरण निम्न है–

   भाग नं0 1 ल्यूनी से ब्यूलोग कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.00 तक, भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा कि.मी. 8.00 से कि.मी. 15.00 तक अधिकत्तर वनभूमि है जिसमें 600 से 700 मी0 रिजर्व फॉरेस्ट है एवं भाग नं0 3 डेरसा से चौरीलानी कि.मी. 15.00 से कि.मी. 23.150 तक नाप भूमि है।

उपरोक्त मार्गों के अनुसार भाग नं0 1 में जो मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। भाग नं0 2 ब्यूलोग से डेरसा के अन्तर्गत जो मार्ग का निर्माण किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस भाग में ब्यूलोग की उचाई 1450 मी0 एवं डेरसा की उचाई 1850 मी0 है अर्थात डेरसा एवं ब्यूलोग के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 400 मी0 है, इस ऊर्ध्वाधर दूरी को प्राप्त करने हेतु क्षैतिज दूरी कम होने के कारण मार्ग की स्वीकृत डीपीआर में 6 हेयरपिन बैण्डों का प्राविधान रखा गया था, [illegible] के अनुपालन में इन 6 हेयरपिन बैण्डों का निर्माण किया गया जिस कारण इस भाग में निर्माण के दौरान एवं वर्षा के बाद बैण्ड क्षतिग्रस्त होने से कुछ मलवा व बोल्डर नीचे गिर गये जिससे कुछ भागों में वन सम्पदा की क्षति हुई है। वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य सम्पन्न कराया जायेगा–

a. [illegible] दीवार [illegible] का निर्माण पूर्ण होते ही मार्ग के नीचे जिन भाग में क्षति हुई है उन भाग में सीडिंग एवं मल्चिंग के द्वारा वन सम्पदा पुनः जीवित कराई जायेगी।

b. मार्ग के जिस भाग में स्लाइड जोन बनने सम्भावना है उस भाग में सुरक्षा दीवार व क्रेट में बोल्डर भरकर स्लाइडिंग [illegible] का कार्य किया जायेगा।

c. मार्ग के नीचे जो मलवा [illegible] है उसे उसी स्थान पर रोकने हेतु वायरक्रेट का निर्माण किया जायेगा।

d. मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग के भारी किनारे में प्लांटेशन का कार्य किया जायेगा। प्लांटेशन कार्य [illegible] की भौगोलिक परिस्थिति [illegible] वृक्ष की प्रजाति की उस भाग में

क्रमशः पृ0 3

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम चकराता।

पत्रांक 898 /13–1 दिनांक 26 /10/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग चकराता
कालसी।

विषयः– लौट सं0–59/17–18 (त्यूनी मोटर मार्ग) विकास कार्यो के लौट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में इस प्रभाग में वर्ष–2017–18(त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग) की दो लौटे प्राप्त हुई थी। जिसमें लौट सं0–58/17–18 अरक्षित वन की जिसका कार्य सम्पादा कर त्यागपत्र प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी को प्रेषित किया गया था, तथा लौट सं0–59/17–18 (पी0एम0जी0एस0वाई0) योजन के अन्तर्गत त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग के आरक्षित वन क्षेत्र के बाद आने वाले क्षेत्र के वृक्ष सिविल भूमि में आते है। प्रास्तविक मोटर मार्ग के सिविल भूमि के निर्माण में कुल 188 वृक्षों का छपान किया गया था जिनका आयतन 04.478 घ0मी0 है, तथा लौट से 151 वृक्षो का कटान,धिरान किया गया, जिनका आयतन 51.8129 घ0मी0 था,तथा निकासी हो गयी है। सेवशन अधिकारी त्यूनी ने अवगत कराया है। कि सिविल भूमि तथा अभी तक लौट में 37 वृक्ष शेष है। जिनका आयतन 32.6651 घ0मी0 है। तथा इस्त मार्ग में छापे वृक्षों को रोड़ कटान कराने से कोई नुकसान नही हुआ है। शेष वृक्षों का निस्तारण शीघ्र होना है।

अतः सूचना सूचनार्थ प्रेषित है।

26/10/2020

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
चकराता।

Scanned with CamScanner

(संलग्नक–07)

(जॉच समिति द्वाराकियेगयेस्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स)

21 10 2020

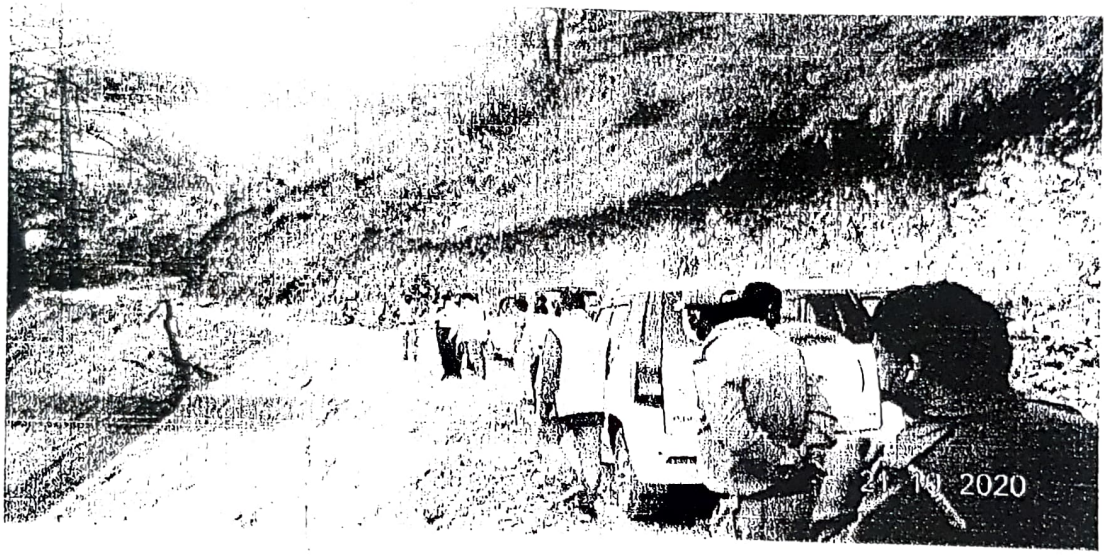
21 10 2020

10 2020

21-10-2020

21 10 2020